



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237281
CG-DL-E-14072022-237281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]
No. 503]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ 22, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 08/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 556 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) , में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 715(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 08/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E) dated the 28th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “6%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F.No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E) dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 16/2019 – Central Tax (Rate) dated the 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 715(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 08/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 557(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "12%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 716(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 08/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 557(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 668(E) dated the 28th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “12%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No. 190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 3/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 668(E) dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 16/2019 – Integrated Tax (Rate) dated the 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 716(E) dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 08/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 558(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) , में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2019-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 717(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 08/2022-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 558(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 712(E) dated the 28th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “6%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No. 190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 3/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 712(E) dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 16/2019 – Union Territory Tax (Rate) dated the 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 717(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 09/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 559(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 677 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक “क्रम संख्या 1”, के स्थान पर शब्द और अंक “क्रम संख्या 1कक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी में क्रम संख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)
“1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं।
1ड.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं

		हैं।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसुंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1छ	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ज	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1झ	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ण	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं।
1त	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां।
1थ	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं।
1द	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध	2702	लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 5/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि 677 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2018- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि 694 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 09/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 28th June, 2017, namely :—

In the said notification,

(i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure “serial numbers 1”, the words, figure and letters “serial numbers 1AA” shall be substituted;

(ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
“1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated”

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No. 190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No.5/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended by notification No. 20/2018 – Central Tax (Rate) dated the 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 694(E), dated the 26th July, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 09/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 560(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 670 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 5/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि 670 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि. 698 (अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 09/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 670(E), dated the 28th June, 2017, namely :—

In the said notification,

- (i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure “serial numbers 1”, the words, figure and letters “serial numbers 1AA” shall be substituted;
- (ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding

		those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated”

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No. 190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No.5/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 670(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended by notification No. 21/2018 – Integrated Tax (Rate) dated the 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 698(E), dated the 26th July, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 09/2022- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 561(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 714 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक “क्रम संख्या 1”, के स्थान पर शब्द और अंक “क्रम संख्या 1कक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी में क्रमसंख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
“1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं।
1ङ.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसुंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।

1छ	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ज	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1झ	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ण	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं।
1त	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां।
1थ	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं।
1द	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध	2702	लिंग्राइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 5/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि 714 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2018- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि 702(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 09/2022- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 714(E), dated the 28th June, 2017, namely :—

In the said notification,

- (i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure “serial numbers 1”, the words, figure and letters “serial numbers 1AA” shall be substituted;
- (ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated”

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No. 190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 05/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 714(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended by notification No. 20/2018 – Union Territory Tax (Rate) dated the 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 26th July, 2018.